



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-11062025-263722  
CG-TL-E-11062025-263722

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2476]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 10, 2025/ज्येष्ठ 20, 1947

No. 2476]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 10, 2025/JYAISTHA 20, 1947

रेल मंत्रालय

(दक्षिण मध्य रेलवे)

शुद्धि-पत्र

सिकंदराबाद, 10 जून, 2025

का.आ. 2536(अ).—भारत सरकार, रेल मंत्रालय की अधिसूचना, जो एस.ओ. 4177 (अ) के अंतर्गत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, धारा 3, उप-धारा (ii) दिनांकित 24 सितंबर, 2024 को “आंध्र प्रदेश राज्य के कृष्ण जिला में स्थित समपार फाटक के स्थान पर ऊपरी पैदल पुल का निर्माण” के संबंध में प्रकाशित हुई थी, में रेल मंत्रालय एतद्वारा निम्नलिखित शुद्धिपत्री तैयार करता है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	इस रूप में प्रकाशित	इस प्रकार पढ़ा जाए
1	केंद्र सरकार, रेलवे अधिनियम, 1989 के एस.ओ. 4177(अ) के अंतर्गत धारा 2 के खंड (37 क), दिनांकित 24 सितंबर, 2024 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, “गन्नावरम-पेहुंचावुतापल्ली के बीच कि.मी. 452/31-33 पर स्थित रेलवे फाटक नंबर 324 पर रोड ओवर ब्रिज का निर्माण” को जन प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय अवसंरचना प्रदान करने के लिए आंध्र प्रदेश	केंद्र सरकार, रेलवे अधिनियम, 1989 के एस.ओ. 4177(अ) के अंतर्गत धारा 2 के खंड (37 क), दिनांकित 24 सितंबर, 2024 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, “गन्नावरम-पेहुंचावुतापल्ली के बीच कि.मी. 452/31-33 पर स्थित रेलवे फाटक नंबर 324 पर रोड ओवर ब्रिज का निर्माण” को जन प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय अवसंरचना

	<p>राज्य के एनटीआर जिला में भूमि अधिग्रहण हेतु आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित करती है.</p>	<p>प्रदान करने के लिए आंध्र प्रदेश राज्य के कृष्ण जिला में भूमि अधिग्रहण हेतु आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित करती है.</p>
--	---	--

[फा. सं. RSP/SC/Gazette/37A/LC.324/BZA-VSKP/BZA/Corrigendum/01]

मनोज कुमार, मुख्य इंजीनियर/नि/आरएसपी

## MINISTRY OF RAILWAYS

### (South Central Railway)

#### CORRIGENDUM

Secunderabad, the 10th June, 2025

**S.O. 2536(E).**—In the notification of the Government of India, Ministry of Railways published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) Dated 24th September, 2024 vide S.O. 4177(E) regarding “Construction of Road Over Bridge in lieu of Level Crossings in the District of Krishna, in the State of Andhra Pradesh” the Ministry of Railways hereby makes the following corrigendum as detailed below:

Sl. No.	Published as	To be read as
1	In exercise of the powers conferred by clause (37A) of Section 2 dated 24th September, 2024 vide S.O. 4177(E) of the Railways Act, 1989 the Central Government hereby notifies "Construction of Road Over Bridge in lieu of Level Crossing No. 324 at Km. 452/31-33 between Gannavaram – Peddaavutapalli Stations" as a Special Railway Project for acquisition of land in the State of Andhra Pradesh in the District of NTR for providing National Infrastructure for a public purpose with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.	In exercise of the powers conferred by clause (37A) of Section 2 dated 24th September, 2024 vide S.O. 4177(E) of the Railways Act, 1989 the Central Government hereby notifies "Construction of Road Over Bridge in lieu of Level Crossing No.324 at Km. 452/31-33 between Gannavaram – Peddaavutapalli Stations" as a Special Railway Project for acquisition of land in the State of Andhra Pradesh in the District of Krishna for providing National Infrastructure for a public purpose with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. RSP/SC/Gazette /37A/LC.324 /BZA -VSKP/BZA/Corrigendum/01]

MANOJ KUMAR, Chief Engineer/C/RSP